न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

ज0वि0 निगरानी संख्या–112/2013–14 अर्न्तगत धारा–333 ज0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

श्री अरूण कुमार हाण्डा बनाम् श्री विनोद कुमार हाण्डा आदि

बाबत भूमि खसरा संख्या– 508/2 रकबा 0.30 एकड़ खसरा संख्या– 510/5 रकबा 0.17 एकड़ एवं खसरा संख्या– 511/2 रकबा 0.40 एकड़ कुल क्षेत्रफल 0.87 एकड़ स्थित मौजा निरंजनपुर तहसील व जिला–देहरादून।

उपस्थित– **श्री विनोद चन्द्र रावत**, सदस्य न्यायिक

श्री अरूण कुमार सक्सेना,	अधिवक्ता,	निगरानीकर्ता
श्री प्रेमचन्द शर्मा,	अधिवक्ता,	उत्तरदातागण

निर्णय

यह निगरानी द्वारा विद्वान अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा अपने समक्ष प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में लम्बित अपील सं0 5 वर्ष 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12–02–2014 एवं श्री अरूण कुमार हाण्डा बनाम् श्री विनोद कुमार हाण्डा वाद सं0 42 वर्ष 2012–13 अन्तर्गत धारा 229 बी/176 एवं 209 जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में पारित सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी सदर देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–09–13 जिसके तहत निगरानीकर्ता/वादी के स्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सी0पी0सी0 एवं धारा 229 डी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम दिनांक 23–04–13 को निरस्त किया गया हैं के विरूद्ध योजित की गई। जिसमें निगरानीकर्ता ने अवर अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल शिविर, देहरादून दिनांक 12–2–14 एवं आदेश अवर न्यायालय सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, देहरादून दिनांक 26–09–13 को खिलाफ कानून व तथ्यों के विपरीत बताया और यह भी कथन किया कि उक्त दोनों न्यायालयों ने क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया हैं। अवर न्यायालय ने स्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध मे दिये गये निष्कर्ष को विधि के विपरीत पारित किया हैं। जिस कारण अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 26–09–2013 प्राविधानों के विपरीत पारित आदेश है व निरस्त होने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त वैधानिक स्थिति पर गौर न कर एवं अवर न्यायालय के आदेश को यथावत् रखने में कानूनी त्रुटि की हैं। जिस कारण आक्षेपित आदेश निरस्त होने योग्य हैं। निगरानीकर्ता ने अवर न्यायालय द्वारा प्रतिउत्तरदाता को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से विवेक का प्रयोग किये बगैर एवं कानून के विपरीत जाते हुये तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत जाते हुये आक्षेपित निर्णय पारित किया है। जिसे कारण आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है व निरस्त होने योग्य हैं। अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त वैधानिक स्थिति पर गौर न कर एवं अवर न्यायालय के आदेश को यथावत् रखने में कानूनी त्रुटि की, और आक्षेपित आदेश के द्वारा की गई कार्यवाही अवर न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो उसमे विधि द्वारा निहित नही हैं और अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त वैधानिक स्थित पर गौर न एवं अवर न्यायालय के आदेश को यथावत् रखने में कानूनी त्रुटि की गई हैं। निगरानीकर्ता ने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि आज भी संयुक्त खाते की भूमि है किन्तु अवर अपीलीय न्यायालय द्वारा सहखातेदारी की भूमि को पृथक–पृथक अध्यासन के मामलें में

कानूनी त्रुटि की गई हैं। विवादित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है किन्तु अवर न्यायालय ने संयुक्त स्वामियों में से एक को स्वतन्त्र रूप से स्वामी मानते हुये दूसरे सहस्वामी के अधिकारों को नजर अन्दाज किया हैं। अवर न्यायालय एवं अवन अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से एवं तात्विक अनियमितता से कार्य किया हैं। इसलिये निगरानीकर्ता ने याचना की कि आदेष दिनांक 12–2–14 एवं 26–9–13 निरस्त किया जायें और वाद के निस्तारण तक विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने विक्रय करने, तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने एवं उसकी प्रकृति बदलने एवं निगरानीकर्ता/वादी के अध्यासन एवं अधिपत्य में दखल अन्दाजी करने से प्रतिवादीगण 1 से 3 को निषिद्ध किया जायें।

प्रतिउत्तरदाता सं0 1 से 3 की ओर से दिनांक 3–3–14 को निगरानीकर्ता की उक्त निगरानी के विरूद्ध प्राथमिक आपत्तियां प्रस्तुत की ओर प्राथमिक आपत्तियों में यह कथन किया कि प्रश्नगत निगरानी वैधानिक रूप से पोषणीय नही है इसलिये प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य हैं। प्रशनगत निगरानी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 12–2–14 एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26–9–13 के विरूद्ध एकसाथ प्रस्तुत की गई हैं। जोकि वैधानिक दृष्टि से पोषणीय नही हैं। प्रश्नगत आदेश दिनांक 12–2–14 व 26–9–13 को पारित करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय को विधिवत् प्राप्त हैं और उनके द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं। ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नही हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे किसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग नही किया जो विधितः उनमें निहित नही था। इसलिये भी प्रश्नगत निगरानी पोषणीय नही हैं आदेश दिनांक 26–9–13 व आदेश दिनांक 12–2–14 गुण–दोष पर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित है और उसमें किसी प्रकार की कोई सारवान तात्विक भूल नही की गई हैं। निगरानीकर्ता वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तथ्यों को छिपाकर कूटरचित दस्तावेजों का आधार लेकर प्रश्नगत वाद योजित कर न्यायालय से एकतरफा निषेधाज्ञा दिनांक 23–4–13 प्राप्त की थी जोकि किसी भी प्रकार विधि सम्मत् एवं न्यायोचित नही थी। दोनों न्यायालय का इस पर एक मत होने के कारण प्रश्नगत निगरानी में उसे चुनौती देने का अधिकार निगरानीकर्ता को प्राप्त नही हैं। विधि का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि ऐसे किसी आदेश के विरूद्ध जिसे पारित करने का अधीनस्थ न्यायालयों को वैधानिक क्षेत्राधिकार प्राप्त था उस आदेश को निगरानी में चुनौती नही दी जा सकती। इस महत्वपूर्ण सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्पष्टतः घोषित किया गया हैं।

उक्त वाद में दौरान निगरानी के विचाराधीन रहते हुये निगरानीकर्ता ने दिनांक 3–3–14 को एक निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24–3–14 आदेशात्मक व्यादेश पाने के लिये प्रस्तुत किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिउत्तरदाता सं0 1 से 3 ने विस्तार से अपनी आपत्तियां दिनांक 20–08–14 को प्रस्तुत की और उन आपत्तियों के साथ प्रोबेट वाद सं0 39 वर्ष 2007 न्यायालय पंचम अपर जिला जज देहरादून श्री विनोद कुमार हाण्डा बनाम् श्री अरूण कुमार हाण्डा में श्री अरूण कुमार हाण्डा द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 28–9–2007 की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की। जिसमें निगरानीकर्ता अरूण कुमार हाण्डा ने स्पष्टतः यह घोषित कर रखा है कि उसके पिता श्री मूलराज हाण्डा द्वारा विनोद कुमार हाण्डा के पक्ष में जो वसीयत दिनांक 24–2–2004 सम्पादित कर रखी है उसे उस पर कोई आपत्ति नही है और उक्त वसीयत के सम्बन्ध में विनोद कुमार हाण्डा के पक्ष में प्रोबेट जारी करना उसे स्वीकार हैं।

उक्त निगरानी में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई और निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस भी न्यायालय में प्रस्तुत की उक्त लिखित बहस में आपत्तिकर्ता ने निगरानी में उठाये गये तथ्यों पर बल देते हुये निगरानी को स्वीकार करने की प्रार्थना की और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 26–9–13 व अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–2–14 को निरस्त करने के लिये बल दिया तथा यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि अभी

संयुक्त खाते की भूमि है और अधीनस्थ न्यायालय में अभी अन्तर्गत धारा 176, 209 व 229 बी का वाद विचाराधीन हैं। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय को यथास्थिति बनाया रखना अनिवार्य था परन्तु उन्होंने ऐसा न कर विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया हैं। निगरानीकर्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिउत्तरदाता सं0 1 ने वाद के विचाराधीन रहते हुये अवैध रूप से उक्त भूमि श्रीमती रजनी जैन व श्री अनिल जैन को विक्रय कर दी हैं। जबकि उन्हें उक्त विक्रय करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही था। ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में यह गलत आश्वासन दिया था कि वह विक्रय नही कर रहा हैं। क्योंकि भूमि का कोई परिवारिक बंटवारा नही हुआ। वसीयत दिनांक 24–2–2004 भी गलत है उस वसीयत को सम्पादित करने का अधिकार श्री एम आर हाण्डा को प्राप्त नही था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर जो आदेश दिनांक 26–9–13 व 12–2–14 पारित किये है वह किसी भी प्रकार विधिसम्मत् एवं न्यायोचित नही हैं।

प्रतिउत्तरदातागण सं0 1 से 3 की ओर से उपस्थित उनके विद्वान अधिवक्ता ने सर्वप्रथम निगरानी की पोषणीयता पर ही प्रश्न उठाये और यह कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यू0ए0डी0 2009(1) पृष्ठ 85 पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित कर रखा है कि अगर अधीनस्थ न्यायालयों को आक्षेपित आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था भले ही उन्होंने कोई गलत तथ्य प्रकट किया है तो भी निगरानी पोषणीय नही हैं। उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण माननीय उच्चतम न्यायालय के सिद्धान्त को माननीय राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निगरानी सं0 94 वर्ष 2007–08 श्री प्रमेन्द्र कुमार आदि बनाम् श्रीमती शीला देवी आदि में पारित दिनांक 5–5–14 द्वारा मान्यता प्रदान करते हुये उक्त निगरानी को निरस्त किया था। माननीय राजस्व परिषद व माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर उन्होंने इस निगरानी को पोषणीय न होने के आधार पर निरस्त करने की मांग की और न्यायालय का इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में विस्तार से इस तथ्य को माना है कि निगरानीकर्ता वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पक्षों में पारिवारिक बंटवारा पहले से हो चुका है और उक्त बंटवारा वर्ष 1986 में हो चुका था। वादी निगरानीकर्ता को इसका ज्ञान पहले से ही प्राप्त था इसके पश्चात उपहार पत्र एवं पंजीकृत विक्रय पत्र बैनामे जो उसे पारिवारिक बंटवारे के आधार पर निष्पादित किये गये जिसे वादी निगरानीकर्ता ने उस समय कभी चुनौती नही दी। वादी निगरानीकर्ता नें अधीनस्थ न्यायालय में कागज सं0 7/6 कूटरचना कर प्रस्तुत किया हैं। जिससे स्पष्ट है कि वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नही आया। इसी तथ्य की पुष्टि अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 12–2–14 को विस्तार से सही मानते हुये निर्णय पारित किया हैं। वसीयत दिनांक 24–2–2004 एक पंजीकृत वसीयत है। इसके लिये प्रतिउत्तरदाता सं0 1 ने अपने पक्ष में प्रोबेट हेतु वाद सं0 39 वर्ष 2007 श्री विनोद कुमार हाण्डा बनाम् अरूण कुमार हाण्डा योजित कर वसीयत को पुष्ट कर प्रोबेट प्राप्त किया और प्रतिउत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में जो आपत्तियों दिनांक 20–8–14 को प्रस्तुत की है और उसके साथ शपथपत्र लगाया है और शपथपत्र के साथ निगरानीकर्ता अरूण कुमार हाण्डा द्वारा न्यायालय जिला जज महोदय देहरादून मे प्रोबेट वाद सं0 39 वर्ष 2007 में प्रस्तुत शपथपत्र दिनांक 28–9–2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें अरूण कुमार हाण्डा ने वसीयत दिनांक 24–2–2004 को पूर्णतया स्वीकार कर रखा है और प्रोबेट जारी करने में सहमति दी हैं। उस वसीयत में विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि निगरानीकर्ता व प्रतिउत्तरदाता सं0 1 के पिता ने पारिवारिक बंटवारे को पूर्णतया मान रखा हैं। ऐसी दशा में वादी निगरानीकर्ता केवल प्रतिउत्तरदाता सं0 1 की सम्पत्ति को हड़पने के उद्देश्य से प्रश्नगत वाद चला रहा हैं। जिसका कि उसे कोई अधिकार नही हैं। इसलिये निगरानी वैधानिक दृष्टि से भी और पोषणीय न होने के आधार पर भी व्यय सहित निरस्त किया जाना उचित बताया।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने के बाद एवं अधीनस्थ न्यायालय

की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों एवं दस्तावेजों का गम्भीरता से अध्ययन किया। जिससे मेरे द्वारा इस तथ्य की प्रथम दृष्टया ही पुष्टि होती है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में तथ्य को छिपाकर और अपने द्वारा प्रोबेट वाद में दिये गये शपथपत्र और अपने द्वारा सम्पादित उपहार पत्र तथा विक्रय पत्र एवं खातेदार श्री मुलकराज हाण्डा द्वारा सम्पादित वसीयत दिनांक 24–2–2004 की पूर्ण जानकारी होते हुये भी उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इन तथ्यों को छिपाकर एवं आधारहीन झूठे तथ्यों पर प्रश्नगत वाद दुर्भावनावश योजित किया हैं। जिससे वादी निगरानीकर्ता की यह दुर्भावना स्पष्टतः प्रकट होती है कि वह अपने सगे भाई विनोद कुमार हाण्डा की भूमि/सम्पत्ति को हड़पना चाहता था। इसलिये उसने अधीनस्थ न्यायालय में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाकर वाद योजित किया था। प्रतिवादी सं0 1 से 3 द्वारा दिनांक 31–5–13 को प्रस्तुत दस्तावेज में वादी निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 12–11–86 को दाखिल खारिज वाद में दिये गये शपथपत्र एवं वसीयत आदि को तथा प्रोबेट के वाद में दिये गये शपथपत्र में जब वादी निगरानीकर्ता द्वारा अपने पिता की वसीयत दिनांक 24–2–2004 को पूर्णतः स्वीकार कर रखा है तो वसीयत दिनांक 24–2–2004. के द्वितीयपृष्ठ के पैरा 2 अ में स्पष्टतः श्री मूलकराज हाण्डा ने वर्णन कर रखा हैं।

(अ) ग्राम निरंजनपुर परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून में भूमि खसरा नं0 508/2 रकबा 0.30 एकड़, खसरा नं0 510/5 रकबा 0.17 एकड़, खसरा नं0 511/2 रकबा 0.40 एकड़ कुल रकबा 0.87 एकड़ है। इस भूमि का पारिवारिक विभाजन(Family Partition) मेरे व मेरे छोटे बेटे अरूण कुमार हान्डा के दरमियान हो चुका हुआ है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:–

उक्त वसीयत के समस्त तथ्यों को जब स्वयं अरूण कुमार हाण्डा द्वारा जिला जज महोदय में चल रहे प्रोबेट वाद में दिये गये शपथपत्र 28–9–2007 से स्वीकार कर रखा है तो उसे अब पारिवारिक विभाजन को न मानना किसी भी प्रकार विधि सम्मत् एवं न्यायोचित नही हैं। जिस खाते का पारिवारिक बंटवारा हो रखा हो उस खाते को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संयुक्त खाता न मानकर कोई अनुचित कार्य नही किया गया। इससे ही स्पष्ट है कि वादी अरवच्छ हाथों से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है और अधीनस्थ न्यायालयों को निर्णय किसी भी प्रकार विधि के विरूद्ध नही है और पूर्णतया क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं। मैं प्रतिउत्तरदाता सं0 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत नजीर यू0ए0डी0 2009 (1) पृष्ठ 85 उच्चतम न्यायालय और उसको आधार मानकर राजस्व परिषद द्वारा पूर्व पारित निर्णय दिनांक 5–5–2014 निगरानी सं0 94 वर्ष 2007–08 श्री प्रमेन्द्र कुमार आदि बनाम् शीला देवी आदि को इस निगरानी में भी पूर्णतया लागू होना मानता हूं और निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य मानता हूं।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी अस्वीकृत की जाती हैं। और अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालयों को लौटाई जाये और बाद कार्यवाही निगरानी की पत्रावली दाखिल दफ्तर की जायें। सम्बन्धित पक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य, न्यायिक।
राजस्व परिषद देहरादून।

आज दिनांक 30/3/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विनोद चन्द्र रावत)
सदस्य, न्यायिक।
राजस्व परिषद देहरादून।